संख्या-46/2020/1882/86-2020-1(216)/93

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर, 2020

विषयः-ईट-भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) (ईंट भट्ठा सत्र, 2020-21) लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ईट भट्ठा सत्र 2020-21 के लिए ईट भट्ठा मालिकों से पायों के आधार पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) निम्नानुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. विनियमन शुल्क (Regulating Fees) ईट-भट्ठा सत्र 2020-21 (01 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक) के लिए मान्य होगा।

2. ईट-भट्ठा सत्र के लिए विनियमन शुल्क (Regulating Fees) विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी 'अ', 'ब', 'स') के जनपदों के लिए पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित निम्नलिखित तालिका के अनुसार देय होगा:-

पायों की संख्या	श्रेणी 'अ' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0) में		श्रेणी 'ब' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0) में		श्रेणी 'स' के जनपदों के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क (रू0) में	
	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे	साधारण भट्ठे	जिग-जैग भट्ठे
10	-	1,48,500	-	1,21,500	-	94,500
11	-	1,59,300	-	1,32,300	-	1,05,300
12	-	1,70,100	-	1,43,100	-	1,16,100
13	-	1,80,900	-	1,53,900	-	1,26,900
14	-	1,91,700	-	1,64,700	-	1,37,700
15	1,21,500	2,02,500	94,500	1,75,500	67,500	1,48,500
16	1,26,900	2,13,300	99,900	1,86,300	72,900	1,59,300
17	1,32,300	2,24,100	1,05,300	1,97,100	78,300	1,70,100
18	1,37,700	2,34,900	1,10,700	2,07,900	83,700	1,80,900
19	1,43,100	2,45,700	1,16,100	2,18,700	89,100	1,91,700
20	1,48,500	2,56,500	1,21,500	2,29,500	94,500	2,02,500
21	1,53,900	2,67,300	1,26,900	2,40,300	99,900	2,13,300
22	1,59,300	2,78,100	1,32,300	2,51,100	1,05,300	2,24,100
23	1,64,700	2,88,900	1,37,700	2,61,900	1,10,700	2,34,900
24	1,70,100	-	1,43,100	-	1,16,100	-
25	1,75,500	-	1,48,500	-	1,21,500	-
26	1,80,900	-	1,53,900	-	1,26,900	-
27	1,86,300	-	1,59,300	-	1,32,300	-
28	1,91,700	-	1,64,700	-	1,37,700	-
29	1,97,100	-	1,70,100	-	1,43,100	-
30	2,02,500	-	1,75,500	-	1,48,500	-
31	2,07,900	-	1,80,900	-	1,53,900	-
32	2,13,300	-	1,86,300	-	1,59,300	-
33	2,18,700	-	1,91,700	-	1,64,700	-
34	2,24,100	-	1,97,100	-	1,70,100	-
35	2,29,500	-	2,02,500	-	1,75,500	-
36	2,34,900	-	2,07,900	-	1,80,900	-
37	2,40,300	-	2,13,300	-	1,86,300	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

38	2,45,700	-	2,18,700	-	1,91,700	-
39	2,51,100	-	2,24,100	-	1,97,100	-
40	2,56,500	-	2,29,500	-	2,02,500	-
41	2,61,900	-	2,34,900	-	2,07,900	-
42	2,67,300	-	2,40,300	-	2,13,300	-
43	2,72,700	-	2,45,700	-	2,18,700	-
44	2,78,100	-	2,51,100	-	2,24,100	-
45	2,83,500	-	2,56,500	-	2,29,500	-
46	2,88,900	-	2,61,900	-	2,34,900	-
47	2,94,300	-	2,67,300	-	2,40,300	-

3. ईट भट्ठा मालिक अपने ईट-भट्ठों में पायों की संख्या का उल्लेख करते हुये निर्धारित विनियमन शुल्क (Regulating Fees) खनिज विभाग के निर्धारित लेखा शीर्षक 0853-अलौह'' खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क'' में जमा कर निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) पर संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4. ईट बनाने के काम आने वाली पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) के लिए प्रस्तावक को ईट-मिट्टी के लिए देय विनियमन शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त उस पर 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, साथ ही पलोथन मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।

5. पूर्व में ईट-भट्ठों के पाये जो 9 इंच मानक के बनाये जा रहे थे, को अब जिग-जैग भट्ठों में 18 इंच के पाये स्थापित कर भट्ठा संचालन का कार्य किया जा रहा है, तद्नुसार जिग-जैग के पायों की गणना की जायेगी।

6. ईट-भट्ठा मालिकों को, ईट-भट्ठा संचालन के सम्बन्ध में निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ आवेदन शुल्क रू0 2000/- एवं पायों की संख्या के आधार पर बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित देय विनियमन शुल्क (Regulating Fees) अग्रिम रूप से जमा कर मूल चालान संलग्न करना होगा।

7. ईट-भट्ठे का संचालन विनियमन शुल्क (Regulating Fees) जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा।

8. ईट-भट्ठा मालिकों को आवेदन-पत्र के साथ ईट-भट्ठे के सम्बन्ध में बकाया न होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. ईट-भट्ठा मालिकों को स्थापित/प्रस्तावित ईट भट्ठा पायों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भट्ठे में पायों की संख्या, ईट भट्ठा मालिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है, तो ऐसे ईट-भट्ठों के पायो की गणना कर नियमानुसार राजस्व क्षति वसूल की जायेगी।

10. ईट भट्ठा मालिकों द्वारा ईट भट्ठे के पायों में परिवर्तन की सूचना 30 दिन के अन्दर संबंधित जिलाधिकारी एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

11. ईट भट्ठा मालिकों द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-21 एवं 41(ड़) का पालन किया जायेगा।

12. जनपद में कार्यरत भट्ठों की प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने हेतु जनपद के व्यापार कर विभाग तथा जिला पंचायत आदि में पंजीकृत ईट भट्ठों की सूची तथा तहसील के माध्यम से लेखपालों की पड़ताल के आधार पर प्राप्त सूची का मिलान कराकर, वास्तविक कार्यरत भट्ठों के पायों की संख्या सहित पहचान की जायेगी। पहचान के उपरान्त वास्तविक रूप से कार्यरत ईट भट्ठों से ऊपर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13. ईट-भट्ठा के लिए विनियमन शुल्क (Regulating Fees) जमा करने हेतु चालान 04 प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे परिवहन एवं ईंट भट्ठे में मिट्टी के भण्डारण के समय चालान की मूल प्रति दिखाई जा सके।

14. उक्त व्यवस्था का अनुपालन मा0 न्यायालयों, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अधीन होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः- यथोपरि।</u>

भवदीया,
डा0 रोशन जैकब
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 1882(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी' के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पंत्राक-1153/एम-ईंट-भट्ठा/2020-21,दिनांक 20.10.2020 के सन्दर्भ में।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ईट–भट्ठा संचालन आवेदन–पत्र

स्थान.....दिनांक.....20.....समय.....बजे.....
दिनांक..... को प्राप्त हुआ

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि ईट–भट्ठा संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहे है :–

(2) इस आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क रू0 2,000/– एवं विनियमन शुल्क (Regulating Fees) रू0 ....., चा0 सं0–..... दिनांक. ..... द्वारा जमा कर दिया गया है। विवरण संलग्नक के अनुसार

(3) अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

I) प्रार्थी का नाम और पूरा पता.....

II) क्या प्रार्थी अशासकीय व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है. .....

III) यदि प्रार्थी

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रीयता

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता और उसके निबंधन का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रीयता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंश पूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता

(4) प्रार्थी का व्यवसाय या उसके कारोबार का प्रकार

(5) क्षेत्र का ब्यौरा :–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल(हे0 में)

(6) ईट–भट्ठे के सम्बन्ध में बकाया न होने का शपथ–पत्र।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गये विवरण ठीक हैं और मैं/हम कोई अन्य ब्यौरे देने को तैयार हूँ/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हैं।

स्थान.....
दिनांक.....

भवदीय

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अवधेय :– यदि आवेदन–पत्र पर प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायें तो अभिकरण पत्र (power of attorney) संलग्न किया जाना चाहिये।